Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

62-2026/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, APRIL 25, 2026 (VAISAKHA 5, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 25th April, 2026

No. 9-HLA of 2026/65/7010.— The Haryana Clerical Service (Recruitment and Conditions of Service) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 9- HLA of 2026

A

BILL

to regulate the recruitment and conditions of service of Clerks in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title, commencement and application.

1. (1) This Act may be called the Haryana Clerical (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall be applicable to the following, namely:-

(a) persons initially appointed on regular basis to the post of Clerk by direct recruitment or compassionate appointment on or after the commencement of this Act; and

(b) Group-D employees covered under the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018), appointed by promotion to the post of Clerk:

Provided that nothing in this Act shall apply to the persons appointed as Clerk on regular basis in—

(i) the constitutional or statutory bodies created by or under any law;

(ii) the Governor House; and

(iii) any Department of State Government before the commencement of this Act.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "absorption" means appointment from any other cadre to common cadre while working on deputation and the same shall thereafter be treated as appointment by transfer in the common cadre;

(b) "Clerk" means and includes the post of Clerk, Clerk-cum-typist, Typist, Data Entry Operator, Computer Operator, Diarist, Dispatcher, Record Keeper, Cashier, Care taker, Store-keeper and PBX Clerk, sanctioned in functional pay level identical to that of Clerk in any Department of State Government as provided in Schedule A;

(c) "common cadre" means the strength of the Clerks appointed on regular basis by any mode of appointment on or after the commencement of this Act in any Department of State Government;

(d) "compassionate appointment" means appointment on regular basis made by the competent authority under the ex-gratia policy, the Haryana Civil Services (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Rules, 2019, the Compassionate Appointment to Harihar Persons Policy, 2021, Veer Shaheed Samman Yojna, 2023;

(e) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer or deputation of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(f) "experience" means the period of service on regular basis in the common cadre excluding the period of extraordinary leave sanctioned for a purpose other than on medical grounds and shall include the period of deemed date of appointment counted towards seniority in the common cadre;

(g) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Human Resources Department;

(h) "Group D Act" means the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018);

(i) "member of Service" means a person appointed to Service on regular basis on or after the commencement of this Act;

(j) "recognized university or institution" means,-

(i) any university or institution incorporated by law in India; or

(ii) any other university or institution, which is declared by the State Government to be a recognized university or institution for the purposes of this Act;

(k) "recruiting agency" means the Haryana Staff Selection Commission or such other body constituted by the Government for selection of candidates for appointment to Service;

(l) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

(m) "Service" means the Haryana Clerical (Recruitment and Conditions of Service) under this Act;

(n) "SETC" means State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications comprising "Basic Computer Knowledge Test" (Part I) and "Computer based typing Test" (Part-II) as per provisions contained in rules or instructions issued by the Government from time to time;

(o) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

Appointing authority.

3. The appointment to Service shall be made by the Director General, Human Resources Department.

Number of posts.

4. The number of posts shall be calculated on the basis of data of vacant posts in all the departments of the State Government after every six months to be filled up by direct appointment or by promotion.

Pay, allowances, leave, pension and other conditions of Service.

5. The Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employees' Conduct) Rules, 2016 and the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, shall in so far as they are applicable and except to the extent expressly provided in this Act, govern members of Service in the matters of their pay, allowances, leave, pension and other conditions of Service:

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, shall be applicable only upto the extent of Death-cum-Retirement Gratuity.

Age.

6. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, who is less than eighteen years or more than forty-two years of age on the last date of submission of application to the recruiting agency:

Provided that relaxation in upper age limit shall be admissible as per the provisions of the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 or as per the instructions issued by State Government from time to time.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of the Schedule B in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Schedule in the case of persons appointed other than by direct recruitment.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

8. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,-

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination conducted by the recruiting agency but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Disqualifications.

9. No person -

(a) who has entered into a marriage with a person having a spouse living; or

(b) having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this section.

Method of recruitment.

10. (1) Recruitment to the post of Clerk shall be made-

(i) 65% by direct recruitment; and

(ii) 30% by promotion from amongst Group D employees of common cadre on seniority-cum-merit; and

(iii) 5% by compassionate appointment; or

(iv) by transfer or deputation.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Eligibility criteria for promotion.

11. (1) The following shall be the eligibility criteria for promotion to the post of Clerk under this Act, namely:-

(i) have qualified 10+2 or its equivalent;

(ii) have completed minimum five years service to the post of Group D;

(iii) have 70% or more Annual Confidential Reports of Good or Very Good category;

(iv) have not any departmental or judicial proceedings pending;

(v) have not any adverse remarks regarding integrity during service career;

(vi) have qualified SETC Part-I.

(2) Whenever a post of Clerk is to be filled up by promotion in any Department, all the Group D employees recruited prior to the enactment of Group D Act shall be considered for promotion by the Department concerned. If none of them is eligible then the information shall be sent to the Director General, Human Resources Department (in common cadre branch) regarding vacant post(s) to be filled up by promotion from amongst the Group D employees of common cadre.

(3) In the Departments where Group C posts other than Clerks are to be filled up by promotion or selection from amongst Group D employees subject to eligibility criteria prescribed in the Departmental Service Rules, the panel of three eligible Group D employees of Common Cadre against each post shall be recommended by the Government for consideration against such post to the concerned Department, where no Group D employee appointed prior to enactment of Group D Act is available for promotion or selection to such post.

State Eligibility Test in Computers.

12. The syllabus and other conditions of qualifying SETC and eligibility criteria of exemption from SETC shall be the same as prescribed by the State Government for the Clerks already appointed before the commencement of this Act.

Note.- After promotion to the post of Clerk, no annual increment and further promotion shall be admissible until SETC Part-II is qualified except in case of employees who have been exempted under this Act or rules/instructions issued by State Government from time to time.

Probation.

13. (1) Any person appointed to the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year if appointed otherwise, excluding the period of leave availed, if any:

Provided that-

(a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this section; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular post.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of period of probation of a person, the appointing authority may,-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a regular vacancy; or

(ii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no regular vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

14. Seniority, inter-se of the members of Service shall be determined by the merit list sent by recruiting agency: Seniority.

Provided that in case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the recruiting agency shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date by different modes of appointment, their seniority shall be determined as follows, namely:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed otherwise;

(b) a member appointed under ex-gratia policy shall be senior to a member appointed by promotion;

(c) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(d) a member who is absorbed shall be senior to a surplus member adjusted against a vacant post;

(e) in case two or more members appointed by promotion from amongst Group D employees or by transfer from any other Department or cadre, their seniority shall be determined according to the seniority of such member in the appointment from which they are promoted or transferred; and

(f) in case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if the length of such service is also same, the older member shall be senior to the younger member.

15. Notwithstanding anything contained in this Act, the appointing authority may impose special terms and conditions in the appointment letter, if it is deemed expedient to do so. Special provisions.

16. Nothing contained in this Act shall affect reservations and other concessions required to be provided for Deprived Scheduled Castes, Other Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Persons with disabilities or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time under clause (4) of article 16 of the Constitution of India. Reservations.

17. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeal, member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016: Discipline, penalties and appeal.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, be such as are specified in Schedule C.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or clause (f) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Schedule D.

18. (1) A member of the Service shall be liable to serve in any Department of Haryana Government and at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of Service may also be deputed to serve—

(i) in a company, an association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, Municipal Corporation or local authority or university within the State of Haryana;

(ii) in the Central Government or company, an association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) another State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Overriding effect.

19. Notwithstanding anything contained in any service rules for the time being in force, the provisions of this Act shall have effect for regulating the recruitment and conditions of service for appointment to the post of Clerk in common cadre under this Act.

Training for certain posts.

20. If nature and duties of a post require any training or technical or professional knowledge, such in-service training shall be arranged by the Government after selection and appointment of candidate to such post and passing of any such training or course shall be part of the duties of the member of service while determining his work and conduct for confirmation in Service as well as promotion to any higher post.

Suspension.

21. The power to suspend a member of Service shall lie with the Director General, Human Resources Department.

Power to make rules.

22. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the State Legislature.

Power to remove difficulties.

23. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

Power to amend Schedule.

24. (1) The Government may, by notification, amend or cancel the Schedule.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be, after it is issued, be placed before the State Legislature.

Schedule A

{see section 2 (b)}

Serial number	Nomenclature of post	Scale of Pay
1	Clerk	Functional Pay Level-3, Rs. 21700-69100/-

Note 1.- Where there is any Special Pay with the pay scale of any post covered under this Act, (for example Rs. 40/- Special Pay in lieu of higher time scale with the post of Clerk in the Haryana Civil Secretariat, Financial Commissioner Secretariat, Law and Legislative Department), the Clerks so appointed shall be entitled to the same as a personal measure during the period of appointment in these offices.

Schedule B

(see section 7)

Serial number	Designation of Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct appointment or compassionate appointment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Clerk	(i) 10+2 or its equivalent; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education. Note.- To get annual increment or further promotion SETC in both the parts shall have to be qualified after joining service as Clerk.	By Promotion- (i) 10+2 or its equivalent; (ii) Five years' experience on Group D post; (iii) SETC Part-I; and (iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education. By transfer or deputation- (i) (i) 10+2 or its equivalent; (ii) two years experience as Clerk in any State Government or Government of India, and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education. Note.- To get annual increment or further promotion, SETC in both the parts shall have to be qualified after joining service as Clerk, if already not qualified.

Schedule C

(see section 17)

Serial number	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Punishing authority	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Clerk	Director General, Human Resources Department.	(i) Minor Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Head of the Department where the incumbent is/ was working.	Administrative Secretary to Government, Haryana, Human Resources Department.
			(ii) Major Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Director General, Human Resources Department.	

Schedule D

(see section 17)

Serial number	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Punishing authority	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Clerk	Director General, Human Resources Department.	(i) withholding the amount of Death-cum-Retirement Gratuity admissible under the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016; (ii) termination of Service; (iii) premature retirement of a member of the service in public interest before attaining the age of superannuation.	Director General, Human Resources Department.	Administrative Secretary to Government, Haryana, Human Resources Department.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An employee appointed on a regular basis in any Department continues to serve there until retirement and is included in that Department's seniority list. Separate seniority lists are generally maintained for each cadre or post, with a distinction between Head Office and field office staff across Haryana. Promotions are made in accordance with the relevant Departmental Service Rules, but this system often results in field cadre employees—especially in Group C posts—facing long delays of 10 to 20 years for promotion, while their counterparts in Head Offices are promoted after about five or more years of service.

To address this disparity and provide equal promotional opportunities, a Common Cadre for Group D was established through the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018. It is now necessary to frame suitable provisions for regulating the promotion of Group D employees within this common cadre.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 25th April, 2026.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 22 of the Haryana Clerical Services (Recruitment and Conditions of Service) Bill, 2026 provides the Government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act and every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the state legislation. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या–9 एच०एल०ए०

हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य में लिपिकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए तथा उनसे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

(3) यह निम्नलिखित को लागू होगा, अर्थात्:–

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से या उसके बाद सीधी भर्ती या अनुकंपा नियुक्ति द्वारा लिपिक के पद पर नियमित आधार पर प्रारंभिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों; तथा

(ख) लिपिक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारी, जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) में कवर होते हैं:

परन्तु इस अधिनियम में दी गई कोई भी बात, नियमित आधार पर लिपिक के रूप में नियुक्त निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी–

(i) किसी विधि द्वारा या के अधीन सृजित संविधानिक अथवा वैधानिक निकाय;

(ii) राजभवन; तथा

(iii) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार के किसी विभाग।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''विलयन'' से अभिप्राय है, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होते हुए किसी अन्य संवर्ग से सामान्य संवर्ग में नियुक्ति और उसके बाद उसे सामान्य संवर्ग में स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के रूप में माना जाएगा;

(ख) ''लिपिक'' से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल हैं, अनुसूची क में यथा उपबंधित राज्य सरकार के किसी विभाग में लिपिक के समरूप वृत्तिमूलक वेतन स्तर में स्वीकृत लिपिक, लिपिक–कम–आशुटंकक, आशुटंकक, डाटा एन्टरी ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, दैनिकी–लेखक (डायरिस्ट), प्रेषणकर्मी (डिस्पेच्चर), अभिलेखापाल (रिकार्ड कीपर), खजानची, केयरटेकर, भण्डार रक्षक (स्टोर कीपर) तथा पी.बी.एक्स. लिपिक के पद;

(ग) ''सामान्य संवर्ग'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार के किसी विभाग में इस अधिनियम के प्रारम्भ से या उसके बाद नियुक्ति के किसी भी ढंग द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त लिपिकों की संख्या;

(घ) ''अनुकंपा नियुक्ति'' से अभिप्राय है, अनुग्रहपूर्वक नीति, हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019, हरिहर व्यक्तियों की अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2021, वीर शहीद सम्मान योजना, 2023 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई नियुक्ति;

(ङ) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो;

(च) ''अनुभव" से अभिप्राय है, चिकित्सा आधार से भिन्न प्रयोजन के लिए स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि को छोड़कर, सामान्य संवर्ग में नियमित आधार पर सेवा की अवधि और इसमें सामान्य संवर्ग में वरिष्ठता की गणना करने के लिए नियुक्ति की मानित तिथि की अवधि भी शामिल होगी;

(छ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, मानव संसाधन विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ज) ''ग्रुप घ अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5);

(झ) ''सेवा का सदस्य'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से या उसके बाद सेवा में नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति;

(ञ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' या ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय या संस्था; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय या संस्था, जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था के रूप में घोषित की गई है;

(ट) ''भर्ती प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या सेवा में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सरकार द्वारा गठित ऐसा अन्य निकाय;

(ठ) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ड) ''सेवा'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें);

(ढ) ''एस.ई.टी.सी.'' से अभिप्राय है, सरकार द्वारा, समय–समय पर, बनाए गए नियमों या जारी की गई हिदायतों में दिए गए उपबंधों के अनुसार ''बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा'' (भाग–I) तथा "कम्प्यूटर आधारित टंकण परीक्षा" (भाग–II) से मिलकर बनने वाली कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा;

(ण) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

नियुक्ति प्राधिकारी।

3. सेवा में नियुक्ति, महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएगी।

पदों की संख्या।

4. सीधी नियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या की गणना, प्रत्येक छह मास के बाद राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों के आंकड़े के आधार पर की जाएगी।

वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें।

5. हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा, जहां तक वे लागू हों और इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित सीमा के सिवाय, सेवा के सदस्य, उनके वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन तथा सेवा की शर्तों के मामले शासित होंगेः

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 केवल मृत्यु–एवं– सेवानिवृत्ति उपदान की सीमा तक लागू होंगे।

आयु।

6. किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक होः

परन्तु ऊपरी आयु सीमा में छूट, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के उपबंधों या सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी की गई हिदायतों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

योग्यताएं।

7. किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, अनुसूची ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त अनुसूची के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

8. (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजाः

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) किसी भी व्यक्ति, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, को भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल सरकार द्वारा उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करे।

9. कोई भी व्यक्ति,– अयोग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

10. (1) सेवा में लिपिक के पद पर भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी– भर्ती का ढंग।

(i) 65 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 30 प्रतिशत वरिष्ठता–कम–योग्यता पर सामान्य संवर्ग के ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(iii) 5 प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति द्वारा; या

(iv) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा से उपबंधित न हों, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल वरिष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

11. (1) इस अधिनियम के अधीन लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए निम्नलिखित पात्रता के मानदण्ड होंगे, अर्थात् :– पदोन्नति के लिए पात्रता के मानदण्ड।

(i) 10+2 या इसके समकक्ष अर्हक हो;

(ii) ग्रुप घ के पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव पूर्ण कर लिया हो;

(iii) 70 प्रतिशत या उससे अधिक की अच्छी या बहुत अच्छी श्रेणी की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट हो;

(iv) कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ लम्बित न हो;

(v) सेवाकाल के दौरान सत्यनिष्ठा के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो;

(vi) एस.ई.टी.सी. भाग–I अर्हक हो।

(2) जब कभी भी किसी भी विभाग में लिपिक का पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, तो संबंधित विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु ग्रुप घ अधिनियम की अधिनियमिति से पहले भर्ती किए गए ग्रुप घ के सभी कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी पात्र नहीं है, तब सामान्य संवर्ग के ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों के सम्बन्ध में सूचना महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग (सामान्य प्रवर्ग शाखा) को भेजी जाएगी।

(3) उन विभागों में, जहां विभागीय सेवा नियमों में विहित पात्रता के मानदण्डों के अध्यधीन, लिपिकों से भिन्न ग्रुप ग के पद पदोन्नति या चयन द्वारा ग्रुप घ कर्मचारियों में से भरे जाने हैं और जहां ग्रुप घ अधिनियम की अधिनियमिति से पूर्व नियुक्त कोई ग्रुप घ कर्मचारी ऐसे पद पर पदोन्नति या चयन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सरकार द्वारा प्रत्येक पद के लिए सामान्य संवर्ग के तीन पात्र ग्रुप घ कर्मचारियों के पैनल की सिफारिश सम्बन्धित विभाग को की जाएगी।

12. एस.ई.टी.सी. अर्हक करने का पाठ्यक्रम और अन्य शर्तें और एस.ई.टी.सी. से छूट के लिए पात्रता के मानदण्ड, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पहले से ही नियुक्त लिपिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा विहित के समरूप होंगे। कम्प्यूटर में राज्य पात्रता परीक्षा।

टिप्पण.– लिपिक के पद पर पदोन्नति के बाद, कोई भी वार्षिक वेतनवृद्धि तथा आगे पदोन्नति तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक एस.ई.टी.सी. भाग–II अर्हक नहीं किया जाता, सिवाय उन कर्मचारियों के मामलों में, जिन्हें इस अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी नियमों/हिदायतों के अधीन छूट प्रदान की गई है।

परिवीक्षा। **13.** (1) सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा से नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, उपभोग की गई अवकाश अवधि, यदि कोई हो, को छोड़कर:

परन्तु–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस धारा के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी नियमित पद पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया है तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,–

(i) यदि ऐसा व्यक्ति किसी नियमित रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) यदि कोई नियमित रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में, सन्तोषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा से नियुक्त किया गया है, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वरिष्ठता। **14.** सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता, भर्ती प्राधिकरण द्वारा भेजी गई योग्यता सूची के अनुसार निश्चित की जाएगी:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, योग्यता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि नियुक्ति के विभिन्न ढंगों द्वारा एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, अन्यथा से नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ख) अनुग्रहपूर्वक नीति के अधीन नियुक्त सदस्य, पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(घ) विलीन सदस्य, किसी रिक्त पद पर समयोजित किए गए अधिशेष सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ड़) ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा या किसी अन्य विभाग या संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा दो या दो से अधिक नियुक्त सदस्यों के मामले में उनकी वरिष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता के अनुसार ही निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और

(च) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य, आयु में छोटे सदस्य से वरिष्ठ होगा।

15. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति पत्र में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगा सकता है, यदि ऐसा करना समीचीन है। विशेष उपबंध।

16. इस अधिनियम में दी कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार वंचित अनुसूचित जातियों, अन्य अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।

17. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे: अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगााने के लिए प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, वे होंगे, जो इन नियमों की अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा, जो इन नियमों की अनुसूची घ में विनिर्दिष्ट है।

18. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग और हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है–

(i) किसी कम्पनी, संघ या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संघ या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

19. तत्समय लागू किसी भी सेवा नियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन सामान्य संवर्ग में लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए प्रभावी होंगे। अध्यारोही प्रभाव।

20. यदि किसी पद की प्रकृति और कर्तव्यों के लिए कोई प्रशिक्षण या तकनीकी या वृत्तिक ज्ञान अपेक्षित है, तो ऐसे पद पर उम्मीदवार के चयन तथा नियुक्ति के बाद सरकार द्वारा ऐसी सेवा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और किसी ऐसे प्रशिक्षण या कोर्स को पास करना, सेवा में पुष्टि करने के साथ–साथ किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए सेवा के सदस्य के कार्य और आचरण को निर्धारित करते समय उसके कर्तव्यों का भाग रूप होगा। कतिपय पदों के लिए प्रशिक्षण।

21. सेवा के किसी सदस्य को निलम्बित करने की शक्ति, महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग के पास होगी। निलम्बन।

नियम बनाने की शक्ति।

22. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

24. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित या रद्द कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखी जाएगी।

अनुसूची क

[देखिए धारा 2(ख)]

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान
1	2	3
1	लिपिक	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–3, सैल–1 = 21700–69100/– रूपए

टिप्पण 1.– जहां इस अधिनियम के अधीन आने वाले किसी पद के वेतनमान के साथ कोई विशेष वेतन है (उदाहरणार्थ हरियाणा सिविल सचिवालय, वित्तायुक्त सचिवालय, विधि तथा विधायी विभाग में लिपिक के पद के लिए उच्चतर वेतनमान के बदले में 40/– रूपए विशेष वेतन) तो इस प्रकार नियुक्त लिपिक, इन कार्यालयों में नियुक्ति की अवधि के दौरान वैयक्तिक उपाय के रूप में उसके हकदार होंगे।

अनुसूची ख

[देखिए धारा 7]

क्रम	पदनाम	सीधी नियुक्ति या अनुकंपा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	लिपिक	(i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी। **टिप्पण.–** लिपिक के रूप में पदग्रहण करने के बाद वार्षिक वेतनवृद्धि और आगे पदोन्नति लेने के लिए एस.ई.टी.सी. के दोनों भाग उत्तीर्ण करने होंगे।	**पदोन्नति द्वारा–** (i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) ग्रुप घ के पद पर पांच वर्ष का अनुभव; (iii) एस.ई.टी.सी. भाग–प्; तथा (iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी। **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी। **टिप्पण.–** लिपिक के रूप में पदग्रहण करने के बाद यदि पहले से ही एस.ई.टी.सी. के दोनों भाग उत्तीर्ण नहीं किए गए हैं, तो वार्षिक वेतनवृद्धि और आगे पदोन्नति लेने के लिए एस.ई.टी.सी. के दोनों भाग उत्तीर्ण करने होंगे।

अनुसूची ग

(देखिए धारा 17)

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	लिपिक	महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग	**(i) छोटी शास्तियां –** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	विभागाध्यक्ष, जहां पदधारी कार्यरत है/था।	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, मानव संसाधन विभाग
			(ii) बड़ी शास्तियां– हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग	

अनुसूची घ

(देखिए धारा 17)

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	लिपिक	महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग	(i) हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन अनुज्ञेय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की राशि को रोकना; (ii) सेवा की समाप्ति; (iii) अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति।	महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, मानव संसाधन विभाग

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

किसी भी विभाग में नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति तक वहीं सेवा करता रहता है और उस विभाग की वरिष्ठता सूची में शामिल होता है। आम तौर पर, प्रत्येक कैडर या पद के लिए अलग–अलग वरिष्ठता सूचियां रखी जाती हैं, जिनमें पूरे हरियाणा में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के बीच अंतर किया जाता है। पदोन्नतियां संबंधित विभागीय सेवा नियमों के अनुसार की जाती हैं, लेकिन इस प्रणाली के परिणामस्वरूप अक्सर क्षेत्रीय कैडर के कर्मचारियों को–विशेष रूप से 'ग्रुप ग' के पदों पर पदोन्नति के लिए 10 से 20 वर्षों तक की लंबी देरी का सामना करना पड़ता है, जबकि मुख्यालयों में उनके समकक्षों को लगभग पांच या उससे अधिक वर्षों की सेवा के बाद ही पदोन्नति मिल जाती है।

इस असमानता को दूर करने और पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए, हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के माध्यम से ग्रुप घ के लिए एक सामान्य कैडर स्थापित किया गया था। अब इस सामान्य कैडर के भीतर ग्रुप घ कर्मचारियों की पदोन्नति को विनियमित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान तैयार करना आवश्यक है।

नायब सिंह,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अप्रैल, 2026

राजीव प्रसाद,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026 के खंड 22 की धारा की अपेक्षा अनुसार सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है तथा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा। इसलिए, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन।

12569—H.V.S.—H.G.P., Pkl.